[2026:RJ-JP:19353]

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN**
**BENCH AT JAIPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 5731/2026

Deepak Tanwar S/o Shri Hem Singh, Aged About 22 Years, R/o Ward No. 16, Kharatiyon Ka Mohalla, Mukundgarh, Police Station Mukundgarh, District Jhunjhunu, Rajasthan. (At Present Accused Is Confined In Central Jail, Jaipur).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

---

| | | |
|---|---|---|
| For Petitioner(s) | : | Mr. Hans Raj Kuldeep |
| For Respondent(s) | : | Mr. Vivek Choudhary, PP |

---

**HON'BLE MR. JUSTICE PRAVEER BHATNAGAR**

**Order**

**07/05/2026**

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के अन्तर्गत पुलिस थाना– चित्रकूट, जिला– जयपुर (पश्चिम) में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या– 55/2026 अपराध अन्तर्गत धारा 309(4), 3(5) भारतीय न्याय संहिता व धारा 3/25 आयुध अधिनियम, 1959 में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त को प्रकरण में झूठा संबद्ध किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 07.02.2026 से अभिरक्षा में चल रहा है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध किसी भी प्रकार का आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध नहीं हैं। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत हो चुका है। प्रकरण के विचारण में लंबा समय लगने की संभावना है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाए।

विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया। उनका तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा विधि से संघर्षरत बालक के साथ मिलकर दिनांक 07.02.2026 को SBI ग्राहक सेवा केंद्र में लूट कारित की गई

RAJASTHAN HIGH COURT

है और लूट की राशि 1,23,700/— रुपये बरामद हुई है तथा साथ ही प्रार्थी/अभियुक्त से एक हथियार भी बरामद हुआ है। प्रार्थी/अभियुक्त को मौके पर ही भागते हुए लोगों द्वारा पकड़ा गया है। इस प्रकार प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा SBI ग्राहक सेवा केन्द्र में हथियार के बल पर परिवादी को भयाक्रांत कर लूट कारित की गई है। अतः प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन अस्वीकार किया जाए।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध यह स्पष्ट आरोप है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने परिवादी की कनपटी पर पिस्टल रखकर 1,23,700/— रुपये की लूट कारित की है तदुपरांत मौके पर ही भागते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को अन्य सहअभियुक्त के साथ वहां मौजूद लोगों द्वारा पकड़ा गया है। अन्य सहअभियुक्त की जमानत उसकी आयु 18 वर्ष से कम होने के आधार पर पूर्व में समकक्ष पीठ द्वारा स्वीकार की गई है। प्रार्थी/अभियुक्त का प्रकरण अन्य सहअभियुक्त के प्रकरण से भिन्नता रखता हुआ है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मैं प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य नहीं समझता हूँ।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **दीपक तंवर पुत्र हेम सिंह** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(PRAVEER BHATNAGAR),J

RAMESHWAR /46